न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–611/2026

(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–92/2026; अन्तर्गत धाराः 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम बद्री पासवान

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
06.07.2026	आवेदक अभियुक्त **बद्री पासवान,** उम्र–75 वर्ष, पिता–बौकू पासवान, ग्राम–कोठिया, थाना–भैरवस्थान, जिला–मधुबनी की ओर से भैरवस्थान थाना कांड संख्या–92/2026 (अन्तर्गत धाराः 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत दिनांक 18.06.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ साहु द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक व्यस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास (भैरवस्थान थाना कांड सं0–53/2022, 27/2024) है तथा दोनों कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को गांव के गंदी राजनीति के तहत झूठा वाद में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। अभियोजन का वाद सरा–सर झुठा, मनगढ़त व बनावटी है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से गिरफतार अभि0 निर्मला देवी के निशानदेही पर आवेदक के घर से 07 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया परन्तु आवेदक भागने में सफल रहे। आवेदक का इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा 274, 275, 3(5) एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 07.06.2026 को विशेष छापामारी के क्रम मे इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा ग्राम कोठिया अवस्थित बद्री पासवान के घर के दक्षिण–पश्चिम अवस्थित रूम से 07 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया परन्तु बद्री पासवान घर से भागने मे सफल रहे। कांड दैनिकी के कंडिका 19 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उनका इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास (भैरवस्थान थाना कांड सं0–53/2022, 27/2024) है तथा दोनों वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02(2), 03, 04, 05 एवं 08 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा आवेदक के घर से शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया आवेदक के इस कांड	
लगातार...		

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–611/2026

(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–92/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम बद्री पासवान

06.07.2026	मे एवं शराब के भंडारण तथा कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम तथा याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास एवं इस कांड मे की गयी बरामदगी एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **बद्री पासवान** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 06.07.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थितः—श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर